



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227862
CG-DL-E-24062021-227862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2333]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2021/आषाढ़ 3, 1943

No. 2333]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2021/ASHADHA 3, 1943

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2021

का.आ.2511(अ).—विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्वारा, निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ —(1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2021 कहा जाएगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अध्याय II में, खंड 4 से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘4. निम्नलिखित शर्तों को छोड़कर मिट्टी, रेत और इसी तरह की सामग्री और पत्थर के आयात की अनुमति होगी, अर्थात्:-

i उस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर अनुसंधान प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में मिट्टी, रेत, उसी तरह की सामग्री और पत्थर की खेप को निर्दिष्ट हवाई या समुद्री बंदरगाहों या भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से अनुमति होगी। बशर्ते कि अनुसंधान प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में मिट्टी, रेत, उसी तरह की सामग्री और पत्थर की खेप के लिए आयात अनुमति की आवश्यकता होगी।

- ii. अनुसूची-X में सूची के अनुसार जारीकर्ता अधिकारी को पीक्यू फॉर्म 06 में कम से कम 10 दिन पहले, उपरोक्त (i) में संदर्भित प्रयोजन के लिए आवेदन या ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
- iii. आवेदन के साथ 1000/- रुपये का शुल्क देय होगा। शुल्क को ऑनलाइन अथवा क्षेत्राधिकार वाले सक्षम प्राधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करना होगा।
- iv. सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की जांच के बाद, और उस उद्देश्य से संतुष्ट होने पर, जिसके लिए ऐसी खेप का आयात किया जा रहा है, फॉर्म पीक्यू 07 में विशेष परमिट जारी कर सकता है। अनुसूची-VI के तहत निर्धारित ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन आयात अनुमति जारी की जाएगी।
3. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में, मौजूदा पीक्यू फॉर्म 06 और 07 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

पीक्यू फॉर्म 06

भारत सरकार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय,

एनएच-IV, फरीदाबाद (हरियाणा) - 121001

मिट्टी, रेत, उसी तरह की सामग्री और पत्थर के आयात की अनुमति के लिए आवेदन

सेवा में,

(जारीकर्ता अधिकारी)

मैं/हम इसके द्वारा विध्वंसक कीट और नाशीजीव, 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी पौध संगरोध (भारत में आयात के विनियमन) आदेश, 2003 के खंड 4 (ii) के प्रावधानों के अनुसार मिट्टी, रेत, उसी तरह की सामग्री और पत्थर के आयात की अनुमति के लिए आवेदन देते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

1. आयातक का नाम और पता		2. निर्यातक का नाम और पता	
3. उद्गम देश		4. शिपमेंट का विदेशी बंदरगाह	
5. आयात की अनुमानित तिथि			
6. प्रवेश केंद्र		7. परिवहन के साधन	
8. खेप का विवरण	9. मात्रा	10. पैकेज की संख्या	11. पैकिंग का तरीका
12. आयात का विशिष्ट उद्देश्य			
घोषणा			
मैं/हम एतद्वारा पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को खेप का निरीक्षण अथवा ट्रीटमेंट करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने और उनके द्वारा जारी किए गए निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं।			

दिनांक _____

पता: _____

(हस्ताक्षर और का नाम
आयातक या उसका अधिकृत एजेंट)

पीक्यू फार्म 07

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय
एन.एच. IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001

मिट्टी/रेत/सदृश सामग्री/पत्थर के आयात हेतु परमिट

परमिट सं.. _____

जारी करने की तारीख _____

वैधता की तारीख _____

विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम 1914 (1914 का 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत, जारी पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के खण्ड 4 के प्रावधानों के अनुसरण में निम्नलिखित के अनुसार मुझे एतद्वारा मृदा/रेत/सदृश सामग्री/पत्थर की निम्नलिखित खेप के आयात के लिए अनुमति प्रदान की गई है।:

1. आयातक का नाम और पता	2. निर्यातक का नाम एवं पता		
3. उद्गम देश	4. प्रवेश बिंदु		
5. खेप का विवरण	6. मात्रा (भार/मात्रा)	7. पैकेज की संख्या	8. पैकिंग का तरीका

9. उपर्युक्त अनुमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:

(1) आयातित खेप में मूल देश के एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए एक सरकारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि:

(क) _____

(ख) _____

(ग) _____

(2) यह परमिट हस्तांतरणीय नहीं है और इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा पूरी खेप के लिए उसके निर्यातक, आयातक एवं उद्गम देश को उपलब्ध बहु बंदरगाह पहुंच तथा बहु भाग शिपमैन्ट के लिए मान्य होगी। परमिट संख्या यथास्थित उद्गम/पुनःनिर्यात देश पर जारी फोटोसेनेटरी प्रमाणपत्र पर उद्धृत किया जाएगा।

(3) आयातित मिट्टी/अपशिष्ट खेप का निस्तारण प्रयोशाला जांच के उपरान्त, इस संबंध में पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा यथाविहित तरीके से किया जाएगा।

दिनांक : _____ स्थान: _____	(मुहर)	जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर तथा पदनाम
--	--------	---

[मि.सं.8-34/2021-पीपी-1।]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: पौध संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322 (अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263 (अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (अ), 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (अ), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888 (अ), 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (अ), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (अ), 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378 (अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919 (अ), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508 (अ), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632 (अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320 (अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542 (अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879 (अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114 (अ), 26 मई, 2015 के का.आ. 1413 (अ), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496 (अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101 (अ), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608 (अ), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873 (अ), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192 (अ) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248 (अ), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453 (अ), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614 (अ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264 (अ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364 (अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344 (अ), दिनांक 8.05.2017 के का.आ. 1475 (अ), दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 2019 (अ), दिनांक 6.07.2017 के का.आ. 2152 (अ), दिनांक 23.08.2017 के का.आ. 2752 (अ) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293 (अ) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का.आ. 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का.आ. 4082 (अ) तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 के का.आ. 1248 (अ), दिनांक 10 मई, 2018 के का.आ. 1873 (अ), दिनांक 15 मई, 2018 के का.आ. 1930, दिनांक 24 मई, 2018 के का.आ. 2059 (अ), दिनांक 4 जून, 2018 के का.आ. 2286 (अ), दिनांक 29 जून, 2018 के का.आ. 3194 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का.आ. 3392 (अ) और दिनांक 16 अगस्त, 2018 के का.आ. 3998 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5158 (अ), दिनांक 22 नवंबर, 2018 के का.आ. 5830 (अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के का.आ. 6224 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2019 के का.आ. 941 (अ) दिनांक 6 मई, 2019 के का.आ. 1728 (अ), दिनांक 24 मई, 2019 के का.आ. 1817 (अ), दिनांक 11.06.2019 के का.आ. 1954 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2525 (अ), दिनांक 18 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2603 (अ), दिनांक 29 अगस्त, 2019 के का.आ. सं. 3141 (अ), दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 के का.आ. सं. 3594 (अ), 24 अक्टूबर, 2019 के का. आ. सं. 3845 (अ), दिनांक 8 नवंबर, 2019 के का.आ. सं. 4083 (अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2019 के का.आ. सं. 4615 (अ), दिनांक 24 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 352 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 488 (अ), 2 मार्च, 2020 के का. आ. सं. 953 (अ), 27 अप्रैल, 2020 के का. आ. सं. 1404 (अ), 20 जुलाई, 2020 के का. आ. सं. 2390 (अ) और 14 अक्टूबर, 2020 के का. आ. सं. 3646 (अ), दिनांक 17 नवंबर 2020 के का. आ. सं. 4243 (अ) और 10 फरवरी, 2021 के का. आ. सं. 681 (अ) और दिनांक 07.04.2021 के का.आ.सं.1491 (अ) के माध्यम से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2021

S.O. 2511 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India (Fourth Amendment) Order, 2021.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing entries relating to clause 4 shall be replaced with the following entries, namely:-
 - ‘4. Import of soil, sand and similar material and stone shall be permitted except under the following conditions, namely:-
 - i. The consignments of soil in any form for research purpose, sand, similar materials and stone shall be permitted through specified air or sea ports or land customs station, on application made for that purpose. Provided an import permit shall be required for consignment of soil in any form for research purpose, sand, similar materials and stone.
 - ii. The application or online application for the purpose referred to in (i) above shall be made to the Issuing Authority as listed in Schedule-X, at least 10 days in advance, in PQ Form 06.
 - iii. A fee of Rs. 1000/- shall be payable along with the application. The fee shall be payable online or in the form of Demand Draft payable to the Competent Authority having jurisdiction.
 - iv. The Competent Authority may, after scrutiny of the application, and if satisfied of the purpose, for which such consignment is being imported, issue special permit in Form PQ 07. The import permit shall be issued subject to such restrictions and conditions prescribed under Schedule-VI.
3. In Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing **PQ Form 06 and 07** and entries relating thereto shall be substituted by the following entries, namely:-

PQ Form 06

(Emblem)

Government of India

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage,

NH-IV, Faridabad (Haryana) - 121001.

Application for Permit to Import soil, sand, similar materials and stone

To (Issuing Authority) I/We hereby make an application in accordance with provisions of clause 4 (ii) of the Plant Quarantine (Regulations of Import into India) Order, 2003 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects & Pests, 1914 (2 of 1914) for permission to import soil, sand, similar materials and stone as detailed below:	
1. Name & Address of the importer	2. Name and address of exporter
3. Country of origin	4. Foreign port of shipment

5. Approximate date of import			
6. Point of entry		7. Means of conveyance	
8. Description of consignment	9. Quantity	10. No of packages	11. Mode of packing
12. Specific purpose of import			
<p>Declaration</p> <p>I/We hereby undertake to pay to an officer duly authorized by the Plant Protection Adviser the prescribed fees towards inspection or treatment of the consignment and abide by the instructions/guidelines issued by him.</p> <p>Date: _____</p> <p>Place: _____</p> <p style="text-align: right;">(Signature & Name of the Importer or his authorized agent)</p>			

PQ Form 07

Government of India Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, NH-IV, Faridabad (Haryana) - 121001. _____ Permit for import of soil/ sand/ similar materials/ stone Permit No. _____ Date of issue _____ Valid up to _____			
In accordance with the provisions of clause 4 of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects & Pests Act, 1914 (2 of 1914), I hereby grant permission to import the following consignment of soil/ sand/ similar materials/ stone as detailed below:			
1. Name and address of importer	2. Name and address of exporter		
3. Country of origin	4. Point of entry		
5. Description of consignment	6. Quantity (Wt./vol.)	7. No. of packages	8. Mode of packing
9. The above permission is granted subject to the following conditions: (1) The imported consignment shall be accompanied by an official phytosanitary certificate issued by an authorized officer in the country of origin stating that (a) _____ (b) _____ (c) _____ (2) The permit is not transferable and shall be valid for one year from the date of issue and valid for multiple port access and multiple part shipments provided the exporter, importer and country of origin of the same for the entire consignment. The permit number shall be quoted on the phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export, as the case may be.			

(3) The imported consignment of soil/effluents shall be disposed after laboratory investigation in a manner prescribed by an officer duly authorized by the Plant Protection Adviser in this regard.

Date : _____	(Seal)	Name Signature Designation of Issuing Authority
Place: _____		

[F.No.8-34/2021-PP.II]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012, S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014, S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016 S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016, S.O. No.2453(E) dated 5th July, 2016, S.O. No.2614(E) dated 5th August, 2016 and S.O. No.264(E) dated 12th January, 2017, S.O. No. 364(E) dated 3rd February, 2017, S.O. 1344 (E) dated 27th April, 2017, S.O. 1475 (E) dated 8th May, 2017, S.O. 2019 (E) dated 21st June, 2017 and S.O. 2152 (E) dated 6th July, 2017 and S.O. No. 2752 (E) dated 23rd August, 2017, S.O. No. 3293(E) dated 6th October, 2017, S.O. No.3556(E) dated 7th November, 2017 and S.O. No. 4082(E) dated 27th December, 2017, S.O. No. 1248(E) dated 20th March, 2018, S.O. No. 1873(E) dated 10th May, 2018, S.O. No.1930 dated 15th May, 2018, S.O. No. 2059(E) dated 24th May, 2018, S.O. No. 2286(E) dated 4th June, 2018 and S.O. No. 3194(E) dated 29th June, 2018, S.O. No. 3392(E) dated 10th July, 2018, S.O. No. 3998(E) dated 16th August, 2018, S.O. No. 5158(E) dated 3rd October, 2018 and S.O. No. 5830(E) dated 22nd November, 2018 and S.O. No. 6224(E) dated 18th December, 2018, S.O. No.941(E) dated 19th February, 2019 and S.O. No. 1728(E) dated 6th May, 2019, S.O. No. 1817(E) dated 24th May, 2019, S.O. No.1954(E) dated 11.06.2019, S.O. No. 2525(E) dated 15th July, 2019 and S.O. No.2603 (E) dated 18th July, 2019 and S.O. No. 3141(E) dated 29th August, 2019; S.O. No. 3594(E) dated 1st October, 2019 and S.O. No.3845(E) dated 24th October, 2019 and S.O. No. 4083(E) dated 8th November, 2019 and S.O. 4615 (E) dated 21st December, 2019 and S.O. 352 (E) dated 24th January, 2020 81. S.O. 488 (E) dated 31st January, 2020 82. S.O. 953 (E) dated 2nd March, 2020 2020 and S.O. No. 1404(E) dated 27th April, 2020, S.O. No.2390(E) dated 20th July, 2020; S.O. No.3646(E) dated 14th October, 2020 and S.O. No.4243(E) dated 17th November, 2020 and S.O. No.681(E) dated 10th February, 2021 and 1491(E) dated 07.04.2021